संख्या- 18/2026 /24(1)/2026-27-2099-139-2022 -2

प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025 -26 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली में बकुलाही ड्रेन की ड्रेनेज क्षमता बढ़ाने हेतु कार्यों की संशोधित परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-1479/काप्रअ/ अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 16.07.2025 एवं मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-07/काप्रअ/ अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 05.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोजन प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जलोत्सारण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -03 जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएँ (रा0से0)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा0से0)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 90,00,000.00 (रू0 नब्बे लाख मात्र) का पुनर्विनियोजन, आदेश संख्या- 24/2026/27-2099-139-2022-2 दिनांक 25.02.2026 द्वारा निर्गत किया जा चुका है (प्रति संलग्न)।

3- निम्न तालिका में अंकित विवरण की चालू परियोजना पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्राप्त उक्त धनराशि रू0 90,00,000.00 (रू0 नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्था0 संचा0 समिति सं0 का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.25 तक नेट आवंटन/व्यय	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2025 - 26 में आवंटन	कुल आवंटन	परियोजना लागत के सापेक्ष अवशेष	स्वीकृत धनराशि (पुनर्विनियोजन के माध्यम से)	सम्बन्धित मु0 अभि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-03-103-03-05-24 जल निकास योजनाए पुनरोद्वार की परियोजनाएँ										
1	जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली में बकुलाही ड्रेन की ड्रेनेज क्षमता बढ़ाने हेतु कार्यों की संशोधित परियोजना। (Latitude:- 25.8846029^{0}N, 25.958841^{0}N Longitude:- 82.0223309^{0}E, 81.43197^{0}E)	क्रमांक-113 50वीं बैठक, दि0 28.11.2017	1217.86	778.65	0.00	0.00	778.65	439.21	90.00	मु0अभि0 (वाह्य सहा0 परि0)

(रू0 नब्बे लाख मात्र)

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या- 88/2018/384/सत्ताईस-सिं0-2-2018-66 बजट/2017-18, दिनांक 19.03.2018 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहें हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद में पुनर्विनियोग किया गया है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये करेंगे

(5) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांकः 27 मार्च 2025 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जलोत्सारण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -03 जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-03-जल निकास योजनाएँ (रा0से0)-0305-पुनरोद्धार की परियोजनाएं (रा0से0)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,00,000.00 (रू0 नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक 4711031030305 पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोक्त्।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(12) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सिद्धा शरण पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।